

96816 - कुर्बानी की कीमत के बराबर सदक़ा करने की तुलना में कुर्बानी करना अफ़ज़ल है।

प्रश्न

मैं और मेरा भाई दो अलग-अलग घरों में रहते हैं, ईद के अवसर पर हमारा इरादा है कि हम एक मेंढा ज़बह करें, और दूसरे को ज़बह किए बिना सदक़ा कर दें। तो क्या हमारे लिए दोनों मेंढों को ज़बह करना अनिवार्य है या नहीं?

विस्तृत उत्तर

आप दोनों के लिए शरई आदेश यह है कि आप दोनों दो जानवर की कुर्बानी करें। आप दोनों एक कुर्बानी में साझीदार नहीं हो सकते। क्योंकि आप ने उल्लेख किया है कि आप अपने भाई के साथ नहीं रहते, बल्कि दोनों भाई अलग-अलग रहते हैं। और हम प्रश्न संख्या: (96741) के उत्तर में कुर्बानी के जानवर में साझीदार होने की शर्तों का उल्लेख कर चुके हैं, और हमने वहाँ पर कुर्बानी के हुक्म के बारे में विद्वानों के मतभेद का उल्लेख किया है, और यह कि विद्वानों की बहुमत के निकट कुर्बानी सुन्नते मुअक्कदा है, और कुछ धर्मशास्त्रियों के अनुसार कुर्बानी करना वाजिब है।

तथा विद्वानों ने उल्लेख किया है कि कुर्बानी की कीमत दान करने के बजाय कुर्बानी का जानवर ज़बह करना बेहतर है। इस आधार पर, आप यह कर सकते हैं कि कुर्बानी का जानवर ज़बह कर उसका गोशत दान कर दें। या आप किसी दूसरे व्यक्ति को वकील नियुक्त कर दें जो किसी ऐसे देश या क्षेत्र में आपकी ओर से उसे ज़बह करे जहाँ लोगों को इसकी अधिक ज़रूरत होती है।

“मतालिब ऊलिन्नुहा” (2/473) में उल्लेख है:

“(और उसे ज़बह करना) अर्थात् कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना, (और इसी तरह अकी़क़ा करना :(:) उसकी कीमत दान करने से बेहतर है), इमाम अहमद ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है। इसी तरह हदी (हज्ज में ज़बह किया जाने वाला कुर्बानी) का जानवर भी है ... नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके बाद खुल्फा-ए-राशेदीन ने (ईद के दिन) कुर्बानी की है और इसी तरह हदी के जानवर को (हज्ज के मौसम में मक्का) भेजा है; अगर (हदी और ईद की कुर्बानी के जानवर की) कीमत दान करना बेहतर होता तो वे उससे उपेक्षा न करते।” समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।